मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय
//आदेश//
भोपाल, दिनांक /10/2017

कमांक /545/2015/जज/मेड-1 : डॉ.हर्षिनी शर्मा, पी.जी.एम.ओ. की निर्देशित दो वर्ष की परीक्षा पर शासन आदेश दिनांक 08.08.2013 हारा की जानकारी उनकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में की गई। डॉ.हर्षिनी शर्मा, पी.जी.एम.ओ. जिला चिकित्सालय डिण्डौरी द्वारा दिनांक 12.08.13 को कर्तव्य स्थल उपस्थित हुए एवं दिनांक 13.8.13 से जिला सूचना के निर्देशानुसार अनाधिकृत अनुपस्थित है।

2/- अयोध्या शासन एवं वाणी डॉ.हर्षिनी शर्मा, परीक्षा कार्यालय पी.जी.एम.ओ. जिला चिकित्सालय डिण्डौरी निर्देश अनाधिकृत अनुपस्थित होने पर सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(4) एवं मध्यप्रदेश शासन के समन्वय नियम (अस्थायी तथा अंदाज़काली) सेवा नियम 1960 के नियम 3 एवं 3(ए) तथा 12 अनुसार उनको सेवापुरुष किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन के राज्यपाल के नाम से
(कर्मचारी कार्यालय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल दिनांक 23/10/2017.

पुरुष कमांक-2176 /545/2015/17/मेड-1

प्रतिलिपि--
1- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल।
2- क्रेजीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जलप्रदूष संभाग, जलप्रदूष।
3- उपस्थानक (विज्ञापन)संचालन क्रम स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुंड़ा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी। कृपया डॉ.हर्षिनी शर्मा, के वर्तमान पते पर तात्पर्य कराने हेतु।
5- डॉ.हर्षिनी शर्मा, परीक्षा कार्यालय पी.जी.एम.ओ. जिला चिकित्सालय डिण्डौरी द्वारा--मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डिण्डौरी।
6- आधीर फॉल्डर/स्थापना लिपिक

सचिव
मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग